राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः चि.प्र./पीपीपी/2015/574 दिनांक : 28.12.2015

अल्पकालीन ई-टेंडर निविदा सूचना

मंत्रिमण्डल आज्ञा संख्या 124/2015 के तहत राज्य के चिन्हित 213 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पीपीपी मोड पर किये जाने के सम्बन्ध में देश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय, निजी चिकित्सालय, ट्रस्ट तथा जनरल प्रेक्टिसर्नस द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाये जाने के लिए Run a PHC योजना लागू की जानी हैं। इसके तहत Existing PHCs मय सम्बद्ध उप स्वास्थ्य केन्द्रों के इच्छुक संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाना हैं, जिसकी एवज में सरकार द्वारा एक मुश्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इच्छुक संस्था/चिकित्सक विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in एवं सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की वेबसाईट www.dipr.rajasthan.gov.in तथा www.eproc.rajasthan.gov.in पर विस्तृत विवरण एवं प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं।

अल्पकालीन ई-निविदा हेतु विवरण निम्न प्रकार है :-

1.	कार्यालय का नाम	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर। (स्वास्थ्य भवन)
2.	कार्य का नाम	चिन्हित 213 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो को पीपीपी मोड पर चलाये जाने के सम्बन्ध में
3.	अनुमानित लागत	30 लाख प्रति वर्ष प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (5 वर्ष के लिए कुल लागत 1.50 करोड़)
4.	धरोहर राशि	3,00,000/- रूपये प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
5.	प्री. बिड कान्फ्रेन्स	04.01.2016 प्रातः 10.00 बजे निदेशालय स्थित कान्फ्रेन्स हॉल में
6.	ऑन लाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड एवं अपलोड की अवधि	दिनांक 28.12.2015 से 20.01.2016 सायं 6:00 तक
7.	ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक	21.01.2016 को 04:00 PM बजे
8.	ऑन लाईन निविदा खोलने का कार्यालय,	निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर
9.	निविदा फार्म शुल्क	1000/- रूपये डीडी/बैंकर्स चेक निदेशक (जन स्वा0) जयपुर के पक्ष में देय होगी
10.	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	1000/- रूपये डीडी MD(RSIL) जयपुर के पक्ष में देय होगी

निविदा पत्रों को वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है, इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा को इलोक्ट्रोनिक फार्मेट में वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करा सकते है। वित्त विभाग की आदेश संख्या एफ.(1)एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011(सर्कुलर नं.19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रूपये तक की राशि के कार्यो के लिए 500/- व 50.00 लाख रूपये से अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रूपये की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप में देय होगी। यह डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक मेनेजिंग डायरेक्टर, आरआई. एस. एल., MD(RSIL) जयपुर के पक्ष में भुगतान योग्य होना चाहिए।

1. धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी कुल अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत प्रति पीएचसी(रू तीन लाख) होगी निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में Director (PH) जयपुर के पक्ष में भुगतान योग्य होनी चाहिए।
2. निविदादाता एक या एक से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को निजी जन सहभागिता पर लेने के लिए एक ही निविदा फार्म में आवेदन कर सकता है लेकिन इस प्रकार के आवदेन के लिए निविदादाता को प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए अलग अलग रूपये तीन लाख की धरोहर राशि का डीडी/बैकर्स चेक सीलबन्द लिफाफे में जमा करानी होगी एवं लिफाफें के बाहर आवेदन किये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का लोट नम्बर एवं नाम अकिंत करना होगा।
3. निविदा शुल्क, धरोहर राशि, MD(RSIL) के पक्ष में देय शुल्क एवं शपथ पत्र (निविदा प्रपत्र में बताऐ अनुसार) की मूल प्रति संयुक्त निदेशक (चि.प्र.) कमरा नम्बर 108, निदेशाल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर में सोमवार 21 जनवरी 2016 को अपरान्ह 11:00 बजे तक जमा कराया जाना आवश्यक है इसके बिना तकनिकी निविदा को नहीं खोला जावेगा एवं उक्त की स्कैन प्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करानी होगी।

4. संबंधित संयुक्त निदेशक (चि.प्र.) कमरा नम्बर 108, निदेशाल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर में संवेदक द्वारा 28.12.2015 से 20.01.2016 सायं 6:00 तक निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है निविदा प्रपत्रों में निविदादाता के लिए योग्यता सूचना एवं निविदाकर्ता की पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राईग, विविभन्न कार्यो की मात्रा एवं दरों का विवरण, नियम शर्ते व विवरण वर्णित है।
5. निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक निविदा स्वीकृति हेतु विधि मान्य रहेगी, यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त करली जावेगी।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताए निरस्त करने के समस्त अधिकार निदेशक (जन स्वा0) के पास सुरक्षित है।
7. आरटीपीपी एक्ट एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान इस निविदा पर लागू होगें।
8. ई–टेंडरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देशः–
   - इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा पत्रों को वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है।
   - निविदाओं में भाग लेने निविदादाताओं को वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेन्शन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाता के पास पूर्व में वेद्य डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
   - निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में उपरोक्त साईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नही होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जायेगें। कोई भी प्रस्ताव भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
   - ऑनलाईन निविदाऐं निर्धारित दिनांक एवं समय पर ही खोली जायेगीं। यदि निविदा खोलने की दिनांक को राज्य सरकार के द्वारा किसी कारण से राजकीय अवकाश घोषित कर दिया जाता है तो निविदाऐं अगले कार्यदिवस को खोली जावेगी।
   - सशर्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
   - इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गई हैं।
   - कोई भी टेंडर इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नही होगा।
   - टेंडर के प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचियों/एनेक्सचर को संम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज किया जाना चाहिए।
9. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क, धरोहर राशि, आरआईएसएल, के पक्ष में देय शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, शपथ पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं गत 3 वर्षो का टीर्नओवर (सीए से प्रमाणित करवाकर) तथा गत तीन वर्षो की इनकम टेक्स रिटर्न प्रमाण पत्र की प्रतियां वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराना आवश्यक है। निविदा शुल्क, धरोहर राशि, आरआईएसएल के पक्ष में देय शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक तथा शपथ पत्र की भौतिक प्रति उक्त निर्धारित तिथि एवं समय तक निदेशालय, चिकित्सा एवं सेवायें, जयपुर के कमरा नम्बर 108 में जमा करानी होगी इसके अभाव में निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की दिनाकं को अवकाश रहता है तो निविदा उसके अगले कार्यदिवस को उसी समय व उसी स्थान पर खोली जायेगी। यदि निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश सारी निविदाए खोली नही जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदाए खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।

पोस्ट क्वालिफिकेशन में रेसपोन्सेव निविदादाताओं की वित्तिय निविदा खोलने की सूचना निविदादाताओं को ईमेल द्वारा दी जावेगी। निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान

Validity unknown
Digitally signed by RAM NIWA MEENA
Date: 2015.12.28 12:24:19
Location: Rajasthan

D:\HA all work\Dr RN Meena\NKFF Final\revised PPP PHC\NIB PHC.doc